संख्या 410/12–XIX-2/खरीफ–खरीद/51खाद्य/2012

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ
लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 1/10 ~~सितम्बर~~, 2012

विषय :–खरीफ–खरीद सत्र 2012–2013 में मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान की खरीद।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0 –8–4/2012–एस.एण्ड.–आई. दिनाँक 06 अगस्त, 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खाद्यायुक्त द्वारा अपने पत्र सं0 541/आ0वि0शा0/ खरीफ खरीद 2012–13 दिनांक 20.09.2012 के द्वारा गुण विर्निदृष्टियों के आधार पर खरीफ विपणन सत्र 2012–13 में धान खरीद नीति के प्रस्तावित मॉडल ड्राफट शासन को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2012–2013 में प्रदेश के किसानों से धान की खरीद, जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किसान वार, ग्राम वार सूचियों के आधार पर, दिनांक 01–10–2012 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार की जायेगी। धान खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 408/12–XIX-2/51 खाद्य/2012, दिनाँक 20 सितम्बर, 2012 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 (1) धान का मूल्य एवं गुणनिर्दिष्टियाँ :–

खरीफ खरीद वर्ष 2012–2013 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का तदर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–4(2)/2012–पी0वाई0–1, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कामन	1250.00
श्रेणी "ए"	1280.00

2 (2) उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या –8–4/2012–एस.एण्ड.–आई. दिनाँक 06 अगस्त, 2012 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र, 2012–2013 के लिये धान क्रय हेतु निम्नवत् गुणनिर्दिष्टियाँ निर्धारित की गयी है। धान ठोस, बिकी योग्य, सूखी, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक समान होगी और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, आर्जिमोन मेक्सीकाना, लेथिरस सेटिवस, (खेसरी) एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण से मुक्त होगा। हानिकारक पदार्थो के अधिमिश्रण या रगं कारकों से मुक्त होगा। धान का वर्गीकरण ग्रेड–"ए" और साधारण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची:–

क्रम सं0	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत में)
1	विजातीय तत्व :–	
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0
2	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अकुंरित और घुने हुये दाने	4.0
3	अपरिपक्व, सिकुडे और कुम्हलाये हुये दाने	3.0
4	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण	7.0
5	नमी तत्व	17.0

टिप्पणी:–

1–उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि" संख्या आई0एस0–4333 (भाग–1) 1996, आई0एस0–4333 भाग(2) , 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आई0एस0–2813–1995 में दी गई विधि के अनुसार किया जायेगा।

2–नमूना लेने की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस0 14818–2000 के अनुसार किया जायेगा।

3–कार्बनिक विजातीय तत्वों के लिये 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर रहते हुये विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नही होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (विसिया प्रजातियां) कमशः 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नही होंगे।

3–धान का क्रय :– राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान के क्रय की व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जाती है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय एजेंसियों के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत 50,000 मी0टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शासन स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि केवल जोत बही के आधार पर ही उत्तराखण्ड के कृषकों का धान राज्य सरकार द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर कय किया जायेगा । राजस्व विभाग उत्तराखण्ड के कृषको द्वारा उत्पादित धान की संगणना एंव विपणन योग्य सरप्लस धान की मात्रा के सम्बन्ध में किसानवार, ग्रामवार सूची तैयार करेगा। इन सूचियों में किसान द्वारा बोये गये धान का क्षेत्रफल, उत्पादित सम्भावित मात्रा, सम्भावित विपणन योग्य सरप्लस आदि का अंकन होगा। इन सूचियों के आधार पर क्रय केन्द्र पर किसान के धान का क्रय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–.407/12–XIX–2/खरीफ–खरीद/51 खाद्य/2012 दिनांक 20.09.2012 द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

सामान्यतः एक दिन में एक काँटे पर 500 कुंटल से अधिक धान की तौलाई नहीं हो पाती है। क्रय ऐजेन्सी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (डंतामजंइसम ैनतचसने) के आधार पर काँटों की संख्या का निर्धारण कर लेगें। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायगा कि इनको देखने के लिये पर्याप्त स्टॉफ हो।

जैंसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने धान का नमूना लेकर आता है, केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जाँच की जायेगी। केन्द्र प्रभारी के पास उपलब्ध ग्रामवार सूचियों में किसान का नाम तथा उसके पास उपलब्ध मात्रा देखकर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को धान लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को धान लाने पर किसान का धान क्रय कर लिया जायेगा। सूची में अंकित किसानों के विपणन योग्य सरप्लस से यदि वास्तविक मात्रा में कुछ विचलन है तो 10 प्रतिशत तक विचलन (धनात्मक/ऋणात्मक) स्वीकार कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाये कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़ें।

4–(1) **धान क्रय एजेंसियाँ एवं क्रय–केन्द्रो का निर्धारण** :– धान क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को अधिकृत किया गया है, तथा इन एजेंसियों द्वारा खोले जाने वाले क्रय–केन्द्र तथा धान क्रय की मात्रा निम्नवत होगीः–

क्रय एजेंसी	केन्द्रो की संख्या	क्रय की जाने वाली धान की मात्रा (मी0टन)
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	13	10,000
सहकारिता विभाग (यू0सी0एम0एफ0)	41	20,000
भारतीय खाद्य निगम	05	20,000
कुल योग	**59**	**50,000**

सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सी खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या को धान की आवक के दृष्टिगत सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के आदेशानुसार बढ़ा/घटा सकते हैं।

4 (2) यदि क्रय–केन्द्रों पर धान की आवक ज्यादा होती है तो कृषकों के सुविधा हेतु धान तौलने के लिए क्रय–केन्द्रो पर एक से अधिक काँटे/बॉट की व्यवस्था की जायेगी। सम्बन्धित जिलाधिकारी, इस प्रकार के निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

4 (3) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड, जिसका दायित्व कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में सहयोग प्रदान किया जायेगा। मण्डी परिषद द्वारा सरकारी क्रय–केन्द्रों पर धान विक्रय के निमित्त व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जायेगा। विगत वर्ष में धान खरीद को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष धान कय केन्द्रों की संख्या उपरोक्तानुसार 59 रहेगी, तथा मण्डी परिषद द्वारा क्रय–केन्द्रों की संख्या के आधार पर उपकरणों की भी व्यवस्था की जायेगी। स्थानीय स्तर पर क्रय–केन्द्रों की संख्या में वृद्वि करने की आवश्यकता होने पर जनपदों में स्थित मण्डी परिसर में क्रय–केन्द्र खोलकर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करने सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है ।

4 (4) क्रय–केन्द्रों का चयन बडी सूझ–बूझ के साथ किया जायेगा, ताकि उससे सम्बद्व गाँव के किसान कम से कम दूरी तय करके सुगमता से अपना उत्पादन विक्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर ला सकें। साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जायेगा कि क्रय–केन्द्रों पर खरीदे गये धान का यदि कुछ समय के लिए अस्थाई संग्रह करना पड़े तो क्रय की गयी धान की मात्रा सुरक्षित रह सके । क्रय–केन्द्रों तक वाहनों के आने जाने का सम्पर्क मार्ग भी ठीक होना चाहिए ।

4 (5) क्रय–केन्द्रों के चयन में सार्वजनिक स्थानों जैसे सामुदायिक विकास केन्द्र, मण्डी स्थल, पंचायत घर, सहकारी समितियों के कार्यालय/गोदाम एवम् सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी जाय। ऐसे स्थानों के अनुपलब्धता अथवा उचित स्थान न होने पर ही प्राइवेट स्थानों का चयन किया जाय। विगत वर्ष खोले गये क्रय–केन्द्रों पर यदि धान क्रय कार्य निर्विवाद एवम् सफलतापूर्वक संचालित हुआ है तो बिना किसी ठोस आधार के क्रय–केन्द्रों का स्थान परिवर्तन न किया जाय तथा किसी भी दशा में चावल मिल परिसर अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान में क्रय केन्द्र न खोले जायें।

4 (6) केन्द्रों का संचालन भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि दिनाँक **31–01–2013** तक किया जायेगा। दीपावली, ईदउल जुहा, 25 दिसम्बर, एवम् गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में क्रय–केन्द्र बन्द रहेगें ।

4 (7) यदि किन्ही कारणों से वास्तविक किसान/भूस्वामी स्वयं क्रय–केन्द्र पर आने में असमर्थ हो तो उसके स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति युक्त अधिकृत प्रतिनिधि, जो कि किसान/भूस्वामी के निकट सम्बन्धी हो सकते हैं, द्वारा धान लाये जाने पर खरीद की जा सकेगी, किन्तु धान के मूल्य का एकाउन्ट पेई चैक केवल उसी किसान के नाम जारी किया जायेगा जिसके नाम किसान बही निर्गत की गयी है। ऐसे प्रकरणों में भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चैक द्वारा ही किया जायेगा ।

4 (8) क्रय–केन्द्रों पर निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों का धान ही क्रय किया जायेगा। क्रय–केन्द्र पर किसानों के वाहन से धान की उतराई तथा छनाई /सफाई का व्यय भार सम्बन्धित किसान को वहन करना पडेगा। इस कार्य में होने वाले व्यय प्रति कुन्तल की दर प्रत्येक केन्द्र पर बोर्ड/नोटिस लगाकर प्रदर्शित की जायेगी ।

4 (9) मण्डी समिति धान को मण्डी में विक्रय कराने से पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों के अनुसार जाँच सुनिश्चित करायेंगी एवं तदनुसार धान की ग्रेडिगं और सार्टिग उनके द्वारा की जायेगी। निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर धान की लाट पर F.A.Q. की तख्ती प्रदर्शित की जायेगी। तदोपरान्त आढ़तियों, कृषकों एवं क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के समक्ष उक्त लाट की नीलामी की जायेगी। यदि नीलामी में समर्थन मूल्य से कम मूल्य आता है तो संबधित सरकारी क्रय एजेंसी धान क्रय करेगी ।

सर्वप्रथम किसान द्वारा बिकी हेतु क्रय–केन्द्र पर लाये गये धान की नमी की जाँच क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा की जायेगी । निर्धारित गुण विनिर्दिष्टियों का धान ही क्रय किया जायेगा यदि उसमें नमी का प्रतिशत एवं विजातीय तत्व अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाते हैं तो केन्द्र पर ही उसे सुखाने तथा पंखा एवं छन्ने से उसकी सफाई कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद/मण्डी समिति द्वारा की जायेगी। धान सुखाने एवं साफ हो जाने के बाद तौल कराकर किसान को धान के मूल्य का भुगतान एकांउण्ट पेई चैक द्वारा किया जायेगा ।

4 (10) भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों के अनुरूप न होने वाले धान का क्रय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा ।

4 (11) बिचौलियों के शोषण से कृषकों को बचाने के लिए कृषकों की पहचान आदि की व्यवस्था उनके किसान बही के आधार पर की जायेगी। धान खरीद हेतु प्रथम आवक प्रथम खरीद के

सिद्वान्त को लागू रखने के लिए टोकन पद्वति अपनायी जायेगी। इस निमित्त क्रय केन्द्र पर एक पंजिका अनुरक्षित की जायेगी, जिसमें केन्द्र पर धान लाने वाले कृषक का क्रमांक, उसका नाम तथा तिथि अंकित की जायेगी। पंजिका में अंकित क्रमांक के अनुसार ही कृषक को टोकन निर्गत किया जायेगा, एवं इसी क्रम में धान की तौलाई की जायेगी।

4 (12) कृषकों को अपनी उपज का धान सरकारी क्रय–केन्द्रो पर विक्रय हेतु लाने के लिये प्रेरित किया जाये तथा अन्य विक्रय को हतोत्साहित किया जाये ताकि उन्हें समर्थन मूल्य का लाभ सुलभ हो सके। राज्य मण्डी परिषद नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा मण्डियों में प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से धान की नीलामी की व्यवस्था की जायेगी। यदि कोई लाईसेन्स प्राप्त व्यापारी मण्डी में धान क्रय नही करता है तो उसके लाईसेन्स को निरस्त करने पर भी विचार किया जा सकता है । नीलामी के समय संबधित क्रय एजेंसी के अधिकारी/प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें, यदि सरकारी क्रय एजेंसी की ओर से समर्थन मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से नीलामी में भाग नही लिया जाता है, तो फर्द नीलामी में सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा भाग न लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा । फर्द नीलामी पर मण्डी समिति के कर्मचारियों के अतिरिक्त कृषकों एवँ व्यापारियों के भी हस्ताक्षर कराये जायेगें तदनुसार सरकारी एजेन्सी के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

5– <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u> :– जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की आवक की स्थिति का आकलन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा । तद्नुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय एजेंसियों द्वारा खोले जाने वाले क्रय–केन्द्रों का अनुमोदन करेंगे। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि क्रय–केन्द्र प्रातः 8.30 बजे से सांयकाल 5.30 तक खुले रहें। आवश्यकता पडने पर निर्धारित समय के बाद भी क्रय–केन्द्र खोलने हेतु जिलाधिकारी ही निर्णय लेगें। जनपद में धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में एक जिला खरीद अधिकारी भी नामित किया जायेगा । यह अधिकारी अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा जो क्रय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा धान खरीद कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

6– <u>कृषकों के हितों के सरंक्षण हेतु क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें</u> :– प्रदेश में खोले जाने वाले प्रत्येक धान क्रय–केन्द्र पर मण्डी समितियों द्वारा किसानों की सुख सुविधा के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की जायेगी :–

1 किसानों के लिये पानी की व्यवस्था–बाल्टी, लोटा, गिलास, मिट्टी के मटके आदि।
2 पशुओं के लिये पानी, नाद, बैलगाडी पार्किंग स्थल आदि।
3 किसानों के बैठने के लिये शामियाना, तख्त, दरी आदि।
4 पर्याप्त मात्रा में पंखों की व्यवस्था।
5 धान की नमी की जॉच हेतु इलेक्ट्रानिक नमी मापक यंत्र।

यदि किसी क्रय–केन्द्र पर मण्डी समिति द्वारा उक्त सुख सुविधा नही उपलब्ध करायी जाती है तो क्रय एजेंसी की ओर से यह व्यवस्था स्वयं की जायेगी । इस पर होने वाले व्यय का समायोजन क्रय एजेंसी द्वारा देय मण्डी शुल्क से किया जायेगा। किन्तु नपी मापक यंत्र मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7–<u>क्रय–केन्द्रों के लिये भूमि का किराया</u> :– क्रय केन्द के लिये भूमि का किराया क्रय एजेंसी को अनुमन्य व्ययों से ही वहन करना होगा । इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक व्यय के रूप में अलग से नही की जायेगी । एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से

जिलाधिकारी भूमि के किराये की अधिकतम दर प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित करेगें, जो समस्त क्रय एजेंसियों के लिए अनुमन्य होंगी।

8–क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन :– समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा क्रय केन्द्रों पर प्रयोग किये जाने वाले काँटों तथा बॉटों का सत्यापन, समय–समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा किया जायेगा। समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगी कि सही काँटों तथा बाँटों का ही प्रयोग हो और सही तौलाई हो ।

9–धान के संग्रह हेतु क्रय–केन्द्र पर क्रेट्स एवं त्रिपाल की व्यवस्था :– खरीदे गये तथा बिक्री के लिये लाये गये धान को असामयिक वर्षा से बचाने के लिये प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम 20 क्रेटस तथा 2 त्रिपाल की व्यवस्था समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा स्वयं की जायेगी । यदि केन्द्र पर क्रेटस उपलब्ध न हो तो नीचे पुवाल डालकर उसके ऊपर लकडी की बल्लियाँ बिछाकर धान के बोरे संग्रहीत किये जायें ताकि धान को जमीन की सीलन आदि से कोई क्षति न हो सके । क्रय–केन्द्र पर धान को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने हेतु एजेन्सियाँ स्वयं जिम्मेदार होंगी ।

10–क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था :– भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान खरीद के लिये बोरों की व्यवस्था स्वयँ की जायेगी। खाद्य विभाग/सहकारिता विभाग के लिये बोरों की व्यवस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान खरीद के लिये सहकारिता विभाग बोरों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता संबधित संभागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित करेंगी, जिसकी पूर्ति के लिये संभागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होंगे। धान की खरीद के लिये सहकारिता विभाग को एक माह की आवश्यकता अनुसार प्रथम बार बोरे उधार आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा अगले माहों में बोरों की व्यवस्था पूर्व में उपलब्ध कराए गये बोरों का भुगतान प्राप्त होने पर ही उपलब्ध कराये जायेंगे। खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों को सर्वप्रथम विभाग के पास उपलब्ध सेवा योग्य बोरे ही धान खरीद में प्रयोग किये जायेंगे, परन्तु इससे उत्पादित सी0एम0आर0 नये बोरों में प्राप्त किया जायेगा तथा धान हेतु उपलब्ध कराये गये सेवा योग्य बोरे वापस प्राप्त कर लिये जायेंगे।

उक्त खरीफ खरीद 2012–13 के लिये धान संग्रहित हेतु नये एस0बी0टी0 जूट बोरों की व्यवस्था खाद्यायुक्त द्वारा की गयी मांग 9.00 लाख एस0बी0टी0 जूट बोरों की व्यवस्था भारत सरकार, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के माध्यम से क्रय हेतु उप निदेशक(लागत), कार्यालय पटसन आयुक्त के पत्र दिनांक जूट(सीए)/3/2005–VII/ दिनांक 30.07.2012 में अवगत कराया गया है कि माह जुलाई, 2012 के लिये प्रति 100 बोरे का बिना किसी लिंकेज के फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य ₹ 3225.08 अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया जिसमें 665 ग्राम के उन्हीं बी0ट्वील बोरे जिनका आकार 94 से0मी0 X 57 से0मी0 की निर्धारित दर पर ₹ 3225.08 पर 100 बैग्स (अन्य देय उपकर उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर छोड़कर) की प्रति वेल की दर से 9.00 लाख एसबीटी जूट बोरे की कीमत (9,000 X 3225.08 = 2,90,25,720-00 (रूपये दो करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार सात सौ बीस मात्र) का इण्डेन्ट पत्र वित्त विभाग की सहमति के पश्चात उक्त कार्यालय को भेजा जा रहा है।

11–मानक नमूने का प्रदर्शन :– धान का किस्मवार नमूना सील करके क्रय–केन्द्र पर सुरक्षित रखा जायेगा जिसको निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों के आधार पर बनाया जाये और उसे किसानों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण हेतु अवश्य प्रदर्शित कराया जायेगा ।

12—धान के मूल्य का भुगतानः—

(1) खाद्य विभाग की विपणन शाखा के क्रय—केन्द्रो के संचालन एवं कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैक से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही वित्त नियंत्रक (खाद्य) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सी0सी0एल0 की स्वीकृति में विलम्ब होने की दशा में वित्त विभाग की सहमति से अग्रिम धनराशि खाद्य विभाग के लेखाशीर्षक "4408" से आहरित कर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) कृषकों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान करने में तत्परता सुनिश्चित करते हुए 02 दिन के भीतर भुगतान एकांउट पेई चैक के द्वारा किया जायेगा। धान क्रय के लिये खोले गये क्रय—केन्द्रों को किसी एक शैडयूल्ड/ राष्ट्रीयकृत बैक से संबद्व करके संभागीय वित्त अधिकारियों/सहायक वित्त अधिकारियों द्वारा "पैडी परचेज एकांउट" के नाम से चालू खाता खोला जायेगा । खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा धान के मूल्य का भुगतान क्रय—केन्द्र प्रभारियों द्वारा एक समय में किसी एक कृषक को अधिकतम केवल अंकन ₹ 50,000—00 (रूपये पचास हजार मात्र) तक किया जायेगा । ₹ 50,000 से अधिक धान के मूल्य का भुगतान वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी/सहायक संभागीय वित्त अधिकारी द्वारा प्रचलित प्रणाली के अर्न्तगत किया जायेगा।

13—धान खरीद केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख :—

धान खरीद केन्द्र पर निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे :—

(01) किसान परिचय पर्ची/टोकन। (02) धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(03) क्रय तक—पट्टी । (04) क्रय पंजिका ।
(05) बोरा रजिस्टर । (06) स्टाक रजिस्टर ।
(07) बिल बुक । (08) निर्गत चेकों का विवरण पत्र ।
(09) टी0डी0स्लिप । (10) बैंक लेखा पंजी ।
(11) निरीक्षण पंजिका । (12) शिकायत पंजिका ।
(13) क्रय किये धान का निस्तारण (14) हैण्डलिगं ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण
(15) परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण।

14—धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं :—

(1) केन्द्रो पर क्रय किये गये धान को प्रति बोरा 40 कि0ग्रा0 की दर से उल्टे बोरों में भरकर 16 टाकों से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, क्रय ऐजेन्सी का नाम, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय का वजन, हैण्डलिगं ठेकेदारों द्वारा चटक रगं से स्टेसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो।

(2) उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिगं न करने पर क्रय एजेंसी द्वारा विभागीय हैण्डलिगं ठेकेदार के बिलों से यथा स्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ की जायेगी :—

(अ) खराब सिलाई 16 टॉको से कम तथा खराब सुतली लगने पर 30 पैसे प्रति बोरा ।

(ब) स्टेंन्सिल न करना या खराब करना, 45 पैसे प्रति बोरा ।

15—स्टेंसिल हेतु रंगों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा :—

धान श्रेणी	रंग
(क) कामन	नीला
(ख) श्रेणी "ए"	नीला

16–प्रचार प्रसार :–

मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान क्रय की व्यवस्था तथा क्रय–केन्द्रों की स्थापना के सबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मण्डी परिषद, क्रय एजेंसियों तथा संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र तथा प्रचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा ताकि कृषकों को सरकार द्वारा दी गयी व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनका कोई उत्पीड़न न कर सके।

17–धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा :–

जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा संभाग स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों एवं क्रय–केन्द्रो पर धान के बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जायेगी । जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की समीक्षा की जायगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों के अतिरिक्त अवकाश के दिनों में भी प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक प्रतिदिन स्थानिय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे।

(1) संभागीय स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक/संभागीय विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा धान क्रय की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय ऐजेंसियों द्वारा धान की खरीद नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार क्रय–केन्द्र तत्काल खुलवाकर खरीद की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(2) खाद्यायुक्त स्तर पर धान खरीद का अनुश्रवण उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय (टेलीफोन/फैक्स संख्या 0135–2740778, 0135–2740765) द्वारा किया जायेगा, जो प्रतिदिन अपनी आख्या खाद्यायुक्त को तथा खाद्यायुक्त साप्ताहिक आख्या सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक मगंलवार को प्रस्तुत करेंगे ।

18–खरीदे गये धान का निस्तारण :–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गये धान का निस्तारण विगत वर्षो की भाँति दो विकल्पों के आधार पर होगा :–

(1) खरीदे गये धान को धान के रूप में ही राज्य की किसी चावल मिल को बेचा जा सकता है। चावल मिलों को बेचे गये धान पर क्रय एजेंसियों से कोई लेवी नही ली जायेगी, परन्तु इससे निर्मित चावल पर मिलों से लेवी वसूल की जायेगी ।

अथवा

(2) क्रय ऐजेन्सीयाँ क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कस्टम हलिगं कराकर चावल निर्मित करेगें। धान से निर्मित चावल का सम्प्रदान विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत स्टेट पूल में किया जायेगा, किन्तु स्टेट पूल के अन्तर्गत, गुण–निर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में, यदि डिपो प्रभारी द्वारा चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है तो संबधित क्रय एजेंसी निर्मित चावल को वाणिज्यक विक्रय कर निस्तारित करेगी। ऐसे चावल पर कोई लेवी वसूल नही की जायेगी ।

क्रय एजेन्सियों द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2012–13 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये धान ग्रेड–ए से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

19–धान की कस्टम मिलिंग हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के दायित्व :–

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सहकारिता विभाग द्वारा क्रय–केन्द्रों पर क्रय किये गये धान की सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित राईस मिलों के स्टाक की नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि राईस मिलर्स को राज्य सरकार की नामित एजेन्सियों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु दिया गया धान चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे।

20–क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग :–

क्रय एजेंसियाँ अपने द्वारा खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग स्वयं चावल मिलों से करायेगी, इस संबध में संम्बधित संभागीय खाद्य नियंत्रक क्रय एजेंसियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे :–

(1) धान की कस्टम हलिंग के लिए सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक टेण्डर आमंत्रित कर राईस मिलर्स का चयन करेंगे । टेण्डर प्राप्त न होने की दशा में ही पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप धान हलिंग की कार्यवाही सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा करायी जायेगी। यही प्रक्रिया सहकारिता विभाग द्वारा भी अपनायी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) कस्टम मिलिंग के लिए संबधित संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय–केन्द्रो को चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन व्यय कम से कम देना पडे । चावल मिलों से कस्टम मिलिंग कराने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक चावल मिल मालिकों से कस्टम मिलिंग हेतु, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मिलिंग क्षमता के अनुसार, ऑफर प्राप्त किये जायेंगे ।

(3) धान की कस्टम हलिंग का कार्य चयनित राईस मिर्लस की क्षमता एवं साख के आधार पर कराया जायेगा। जिस चयनित राईस मिल से राजकीय धान की कस्टम हलिंग कराई जायेगी, उस राईस मिल द्वारा राजकीय धान प्राप्ति के अधिकतम् 20 दिन के भीतर उस धान से निर्मित चावल, राज्य सरकार को सम्प्रदान किया जायेगा।

(4) जिन चावल मिलों/मिल मालिकों के विरूद्व सरकारी/अर्द्व सरकारी विभागों/संस्थाओं/परिषदों/समितियों/राष्टीकृत बैंको की बकाया धनराशि है अथवा जिन मिलों/मिल मालिकों के विरूद्व अपराधिक/विभागीय मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल निर्मित किया है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है, ऐसी मिल/मालिकों का कस्टम हलिगं हेतु चयन नही किया जायेगा । किराये पर चलाई जा रही मिलों को भी धान कस्टम हलिगं हेतु नही दिया जायेगा ।

(5) जिस राईस मिलर को धान कस्टम मिलिंग हेतु दिया जायेगा, वह राज्य सरकार को अपनी धान मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार कस्टम मिलिंग हेतु किये गये एग्रीमेन्ट के एक सप्ताह के अन्दर निम्न सारणी के अनुसार बैंक गारण्टी देगा :–

क्रमांक	धान मिल की कुटाई क्षमता	बैंक गारण्टी
1.	1/2 टन क्षमता तक	1,50,000 रूपया
2.	1/2 टन से अधिक लेकिन 1 टन तक	2,00,000 रूपया
3.	1 टन से अधिक लेकिन 2 टन तक	2,50,000 रूपया
4.	2 टन से अधिक	3,00,000 रूपया

कस्टम हलिंग हेतु चयनित राईस मिर्लस से **परिशिष्ट–03** पर संलग्न अनुबन्ध पत्र के प्रारूप पर अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा ।

(6) धान की कस्टम हलिंग हेतु चावल मिलों का चयन क्रय केन्दों से स्टेट पूल के अन्तर्गत डिलीवरी डिपो से मिल की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सामान्यतः किसी चावल मिल को उसकी 25 से 30 प्रतिशत तक की क्षमता के अनुरूप ही कस्टम मिलिंग हेतु धान की डिलीवरी की जायेगी ।

(7) कस्टम मिलिंग के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिए 67 प्रतिशत तथा सेला के 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(8) कस्टम मिलिंग के लिए चुनी गई चावल मिल द्वारा राज्य सरकार के धान की कुटाई तथा अपने मिल एकाउन्ट के धान की कुटाई से सबंधित अभिलेख अलग–अलग रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो । इसी प्रकार क्रय–केन्द्रो पर खरीदे गये धान और उससे बनाये गये चावल से संबंधित अभिलेख भी अलग–अलग रखे जायेंगे ।

(9) धान की कस्टम हलिंग से सबंधित सूचना उप संभागीय विपणन अधिकारी/ सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन टैलेक्स, फैक्स के माध्यम से खाद्य विभाग के जनपदीय/सम्भागीय/खाद्य आयुक्त कार्यालय में खोले गये खाद्य नियत्रण कक्ष को भेजी जायेगी। सहकारिता विभाग द्वारा भी सम्बन्धित जनपदीय उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को नियमित रूप से प्रतिदिन धान खरीद की सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। सहकारिता विभाग के मुख्यालय से भी प्रतिदिन दोनों सम्भागों की जनपदवार धान क्रय की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

21–धान के कस्टम हलिंग से निर्मित चावल का भण्डारण :–

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में सी0एम0आर0 चावल की मात्रा विभागीय गोदामों एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत की जायेगी। चावल के भण्डारण में चावल की गुणवत्ता एवम् संग्रहीत स्टाक की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सी क्रमशः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड राइस एवम् लेवी चावल का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा ।

राज्य में स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का चावल संग्रहीत किया जायेगा, वहाँ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो चावल की मात्रा एवम् उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त चावल का स्टाक प्राप्त करेगा । पुनः लक्षीकृत योजना के अर्न्तगत ए0पी0एल0/ बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजनाओं में निर्गमन के समय खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा का ही स्टॉफ उसे अपनी देख–रेख में सम्बन्धित वितरण ऐजेन्सी को निर्गत करेगा। इस निमित्त किसी अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा वर्तमान में कार्यरत स्टॉफ से ही कार्य लिया जायेगा । आयुक्त, खाद्य यह सुनिश्चित

करेगें कि जिस वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक की तैनाती क्रय–केन्द्र पर होगी उसे कदापि स्टेटपूल डिपो पर तैनात नहीं किया जायेगा।

22–कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन :–

चावल मिल से स्टेट पूल डिपो तक सी0एम0आर0 का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर किया जायेगा, जिसके परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत परिवहन दरों पर किया जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेट पूल संग्रह डिपो तक, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी । सी0एम0आर0 के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा डिपोवार मूवमेन्ट प्लान जारी किया जायेगा ।

23–हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवम् उनके पारिश्रमिक का भुगतान :–

धान क्रय हेतु ठेकेदारों की नियुक्ति आदि का प्रबन्ध पूर्ववर्ती राज्य उ0 प्र0 के शासनादेश संख्या–पी0–382/29–खा0–5–99–5(5)/89,दिनॉक05 मई, 1999 **(संलग्न परिशिष्ट–चार)** के क्रम में इस संशोधन के साथ निर्धारित की जायेगी कि धान की हैण्डलिंग दरें प्रतिकुन्तल के स्थान पर प्रति 02 एसबीटी बोरे होगी।

24–धान के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था :– खरीफ–खरीद सत्र 2012–2013 में धान क्रय–केन्द्र से निर्धारित चावल मिल तक धान संचरण हेतु परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था शासनादेशानुसार क्रय एजेन्सियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान के संचरण हेतु किसी भी दशा में राईस मिलर्स को परिवहन ठेकेदार नियुक्त नहीं किया जायेगा।

25–क्रय केन्द्रो के संचालन एवम् अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवम् अन्य मदों हेतु व्यवस्था :– खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर खरीद वर्ष 2012–2013 के लिए स्टेशनरी, क्रय–केन्द्रों के निरीक्षणार्थ पी0ओ0एल0, सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, हैण्डलिगं परिवहन दरों का निर्धारण, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मानदेय, बोरो की आपूर्ति, वर्षा आदि से खाद्यान्न के रख–रखाव के लिए त्रिपाल, केटस, नमी मापकयंत्र आदि क्रय किया जाना व धान का मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी । स्टेशनरी, पी0ओ0एल0, टेलीफोन, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार आदि के खर्च भी लेखाशीर्षक "4408–खाद्य–101–खरीद और पूर्ति–03– अन्नपूर्ति योजना –31–सामग्री तथा सम्पूर्ति " से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के तहत वहन किया जायेगा ।

26–धान क्रय–केन्द्रो का निरीक्षण :– खाद्य विभाग तथा क्रय एजेंसियों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक धान खरीद केन्द्रों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र समय से खुलते हैं एवं वहाँ अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध है तथा किसानों का धान नियमानुसार खरीदा जा रहा है। निरीक्षण के समय जिन मुख्य बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है उनका उल्लेख **परिशिष्ट–1** में किया गया है ।

इसी प्रकार संभागीय विपणन अधिकारी 15 दिन में सभी केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी/संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रो में आकस्मिक निरीक्षणों द्वारा यह देखेंगे कि धान खरीद का कार्य समुचित ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

27—खाद्य नियंत्रण कक्ष एवम् खरीद के आँकडों का प्रेषण :— राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, 8—ए बंगाली मोहल्ला, करनपुर, देहरादून उत्तराखण्ड के कार्यालय में खोला जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2012 से कार्यशील रहेगा। जनपदस्तर पर तथा संभाग स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष खोले जायेंगे। धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन फैक्स के माध्यम से खाद्य नियंत्रण कक्ष को निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट—2)** में प्रेषित की जायेगी। नियत्रण कक्ष का टेलीफोन/ फैक्स न0— 0135—2740778, 0135—2740765 है।

28 — क्रय एजेंसियाँ धान खरीद हेतु जारी समय सारणी के अनुसार धान क्रय—केन्द्रों की स्थापना, कार्मिकों की तैनाती, बोरों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगी, ताकि धान का कय सुचारू रूप से आरम्भ हो जाये।

इसी प्रकरण पर धान खरीद के पश्चात खरीफ खरीद सत्र 2012—13में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत चावल का उद्धग्रहण एवं कय भी किया जाना प्रस्तावित है जिस पर निम्न प्रस्तावित प्राविधानों पर विचार किया जाना है।

संलग्नकः उपर्युक्त।

भवदीय,
(सुबर्द्धन)
सचिव

संख्या 410(1)/खरीफ खरीद/51 खाद्य/2012 तददिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी , उत्तराखण्ड।
3 निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6 संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7 अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8 सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9 मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
10 वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
11 नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड ।
12 क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
13 क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड।
14 उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
15 सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16 एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम)
अपर सचिव।